बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक .... / पटना, दिनांक .... / 2016

ह0क0(13)योजना(छः बु0प्र0के0)–3 / 2013

प्रेषक:

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– राज्य के छः बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृति भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 13.82 लाख (तेरह लाख बेरासी हजार) रूपये अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार राज्यादेश सं0–1155 दि0–24.06.15 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने गैर योजना अन्तर्गत संचालित राज्य के छः बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों यथा चाकन्द(गया), काको(जहानाबाद), ओबरा(औरंगाबाद), अम्बाबाग(भागलपुर), अमरपुर(बांका) एवं नेपुरा(नालन्दा) के प्रशिक्षणार्थियों को ₹ 800/– (आठ सौ रू0) प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षाणार्थी की दर से छात्रवृत्ति भुगतान हेतु कुल ₹ 13.82 लाख (तेरह लाख बेरासी हजार) रुपये के अनुमानित व्यय पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना मद से स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है ।

2. स्वीकृत राशि "मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, मॉग संख्या–23, उप शीर्ष 0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड P2851001030103, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5438 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 3401 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक में ₹ 10.82 लाख (दस लाख बेरासी हजार) रूपये बजट उपबंध है।

मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या–23, उप शीर्ष 0101 विद्युतकरघा योजना, विपत्र कोड P2851007890101, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5445 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 34 01 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक में ₹ 3.00 लाख (तीन लाख) रूपये बजट उपबंध है।

3. राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561 वि0(2) दि0–17.04.1998 के कंडिका–02 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जायेगा।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पटना प्रमण्डल, पटना होगें, जो प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् कार्यान्वयन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर छात्रवृति का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों को बैंक खाता के माध्यम से करेंगे। उक्त छः बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों के सफल प्रशिक्षणार्थियों को ₹ 800/– (आठ सौ) रू0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृति का भुगतान किया जायेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों से संबंधित प्रतिवेदन दि0–22.03.2017 तक निश्चित रूप से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ताकि RTGS द्वारा सफल प्रशिक्षणार्थियों को उनके बैंक खाता में छात्रवृति का भुगतान की जा सके।

5. प्रशिक्षण केन्द्रों में राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रशिक्षणार्थियों का चयन में आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. स्वीकृत राशि उद्योग विभाग के निर्धारित मूल उद्व्यय के अन्तर्गत है।

7. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें, जो इसका अनुश्रवण करेंगें। योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को भेजते हुए एक प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायेगें।

8. इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5438 एवं IND-5445 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में विपत्र कोड एवं योजना कोड अनिवार्य रूप से अंकित करेगें।

9. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका सं0–ह0क0(13) योजना (छः बु0प्र0के0)–3/2013 पृष्ट– 56/टि0 पर दिनांक–24.08.2016 को प्राप्त है।

10. यह राज्यादेश संचिका संख्या–ह0क0 (13) योजना (छः बु0प्र0के0)–3/2013 पृष्ट–52/टि0 पर दिनांक–13.07.2016 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

11. वित्त विभागीय पत्रांक– 7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक–व्यय विवरणी ।

विश्वासभाजन
ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/ *पटना,दिनांक–*

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नई सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/ 4092 *पटना,दिनांक–* 31-08-16

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना /उद्योग निदेशक, बिहार,पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/ आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/संयुक्त उद्योग निदेशक(तकनीकी),ह०रे० निदेशालय/वरीय लेखा पदाधिकारी, ह0रे0 निदेशालय/योजना शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग निदेशाालय/ सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पटना प्रमण्डल, पटना/उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र) हस्तकरघा सघन विकास योजना, गया/भागलपुर/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहारशरीफ(नालन्दा)/पर्यवेक्षक, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र चाकन्द(गया), ओबरा(औरंगाबाद), काको (जहानाबाद)/नेपुरा (सिलाव) नालन्दा/अम्बाबाग, भागलपुर एवं अमरपुर, पवईडीह (बांका) एवं प्रशाखा पदाधिकारी(हस्तकरघा सामान्य) शाखा, ह०रे0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/8
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(17)